

सं. 6(38)89-सीडीएन/400

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

भूमि एवं विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली


दिनांकित 14 अक्टूबर, 2011

**कार्यालय आदेश सं. 4/2011**

**विषय: कार्यालय आदेश सं. 142009 में संशोधन**

दिनांक 30.10.2009 के कार्यालय आदेश संख्या 14/2009 के आंशिक आशोधन में यह निर्णय लिया गया है कि रिकॉर्ड में निरंतरता और पूर्णता सुनिश्चित की जाए, निरीक्षण के लिए अलग फोल्डर तैयार करने की प्रणाली खत्म की जाए। इसकी बजाय अभियन्ता कार्यालय में मूल फाइल भेजी जाए, जिसमें यथापेक्षित संपत्तियों के निरीक्षण के लिए विधिवत सारणी/संदर्भ हो।

इसे भूमि और विकास अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।



(सुमित गाखर)

उप भूमि एवं विकास कार्यालय

प्रतिलिपि: 1. सभी अधिकारी

2. सभी अनुभाग

3. भूमि एवं विकास कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए एनआईसी

4. सीडीएन की गार्ड फाइल